न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :बी. एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 186/2018

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

दाखुदेवी पत्नी श्री घीसाराम जी जाति–मेघवाल निवासी जवाहर कॉलोनी रातानाडा जोधपुर।

1. श्रीमती शांती पुत्री स्व. श्री रामपाल पत्नी श्री रामबक्स जाति हरीजन,उम्र 61वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 26 लालगढ गली नम्बर 14 बीकानेर हाल निवासी चौपानी स्कूल गिरधर नगर जोधपुर
2. श्रीमती लीलादेवी पुत्री स्व. श्री रामपाल पत्नी श्री पुखराज जी जाति– हरिजन निवासी हरिजनों का बास ग्राम जसनगर तहसील मेडता सिटी जिला नागौर हाल निवासी चौपासीनी स्कूल गिरधर नगर जोधपुर
3. जीवादास पुत्र स्व. श्री रामपाल जाति हरिजन निवासी चौपासीनी फिल्टर हाउस जोधपुर
4. श्यामलाल पुत्र स्व. श्री रामपाल जाति हरिजन निवासी चौपासनी स्कूल गिरधर नगर जोधपुर
5. स्व. श्रीमती पुरी पुत्री स्व. श्री रामपाल जाति हरिजन के कायम मुकाम–

/1.श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व श्री पुरी, जाति हरिजन निवासी सेवा सदन स्कूल के सामने राम बाग, कागा कॉलोनी हरिजन बस्ती जोधपुर

/2. श्रीमती रमेश पुत्री स्व. श्रीमती पुरी निवासी 350 मुस्लिम यतिमाखाना मदेरणा कॉलोनी जोधपुर

/3. ओम पुत्र स्व. श्रीमती पुरी

/4. प्रकाश पुत्र स्व. श्रीमती पुरी

/5. श्री संतोष पुत्र स्व. श्रीमती पुरी

क्रम संख्या 5/3 से 5/5 सभी निवासीगण 33 पृथ्वीपुरा रसाला रोड जोधपुर हाल निवासी सेवा सदन स्कूल के सामने रामबाग कागा कॉलोनी हरिजन बस्ती जोधपुर

6. खेमाराम पुत्र श्री चेतरराम माता मैना
7. सोहनी पुत्र श्री चेतनराम माता मैना
8. गज्जू पुत्र श्री चेतनराम माता मैना

9. मुन्नी पुत्री श्री चेतनराम माता मैना
10. क्रम संख्या 6 से 9 सभी जातियान हरिजन निवासीगण ग्राम मोकाला तहसील मेडता सिटी जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश दिनांक 31.03.2016 जो अपील संख्या 17/2016 बअनवान श्रीमती शांति वगैरा बनाम जीवादास वगैरा में श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः——

1. श्री प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थीया की ओर से उपस्थित।
2. श्री गुलाबसिंह चम्पावत,अधिवक्ता, रेस्पो. सं 1/2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री आर.के.शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3, 4 की ओर से उपस्थित।
4. श्री मूल सिंह गहलोत रेस्पो0 संख्या 5/1,4,5 तथा रेस्पो0 संख्या 6,7,8 की ओर से उपस्थित।
5. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से।
6. शेष रेस्पोडेन्टस संख्या 1/1,3,4,5 एवं रेस्पो0 संख्या 2,4 एवं 9, बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक अगस्त, 2019

1. अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 17/2016 शांती वगैराह बनाम जीवादास वगैरा में दिनांक 31.03.2016 में पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। द्वितीय अपील के संलग्न अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम.1963 की धारा 05 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या 1 से लगायत 9 तक के पिता श्री रामपाल के खाते की खसरा संख्या 75 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी जो कि उनके मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 170 द्वारा केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अन्य रेस्पोडेन्टस उनकी पुत्रियां व वारिसान होने के नाते

उनका भी इसमें हक था। अतः रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन आदेश से नामा0 संख्या 170 को निरस्त कर बाद जॉच विधि के प्रावधानों के अनुसार पुनः नामा0 की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को प्रदान किये।

3. अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कथन किया कि अपीलार्थी का पटासुदा कब्जासुदा मालिकाना हक अधिकार का आवासीय भूखण्ड बनाप 1460.08 वर्गगज वाके ग्राम चौपासनी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 75/8 में आया हुआ है। ये खसरा वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसका आवासीय पटटा विलेख जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के नाम से जरिये प्रकरण संख्या 1583/13, पटटा क्रमांक 171762 डिस्पेच नम्बर 2555/7.11.2013 को जारी किया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को सुनवाई का किसी प्रकार का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। न्यायहित में यह आवश्यक है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है एवं उनका नाम बिना किसी पूर्व सूचना के हटाये जाने का आदेश दिया गया है अतः अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें।

4. हमने अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया। चूंकि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 (प्रथम अपील में अपीलान्टस) के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय केवल रेस्पो0 संख्या 3 ता 10 को ही पक्षकार रेस्पोडेन्टस बनाया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट है जिसमें अपीलान्टस का जो कि खसरा संख्या 75/8 एक भूखण्ड बनाप 1460.08 वर्गगज के जारी पटटा क्रमांक 17162 अनुसार भूखण्डधारक है, जिन्हे प्रथम अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था। अतः अपीलान्टस के द्वारा प्रकट किये गये कथनों पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

5. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी।

6. प्रस्तुत द्वितीय अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से पूर्व अपील के साथ अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना उचित होगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना गया।

7. अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ परीसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.3.2016 की जानकारी अन्दर म्याद में नहीं होने के सम्बन्ध में कथन किया कि उसे प्रारम्भ से इसकी जानकारी नहीं थी क्यों कि अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जब बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये सम्पर्क किया तब बैंक ने किसी दस्तावेज या अन्य कोई सम्पति मोरगेज रखकर लोन देने का बताया जिस पर अपीलार्थीया के द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी नामान्तरकरण इत्यादि दस्तावेज की नकले प्राप्त करने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तब उक्त अपीलाधीन आदेश की दिनांक 26.7.2017 को जानकारी हुई तब उसके द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह द्वितीय अपील दिनांक 24.8.2017 को प्रस्तुत की जो दिनांक 6.9.2017 को दर्ज हुई। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें।

8. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न पेश किये अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र तथा धारा 05 परिसीमा अधिनियम अपील को अन्दर शुमार किये जाने का विरोध करते हुए कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर के द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 7.4.1990 में तत्समय में जो–जो पक्षकार अंकित थे उन्हें ही प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय आवश्यक पक्षकार संस्थित किया गया था तथा उनसे ही वादग्रस्त भूमि में अपना हक–हिस्सा प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पपादित की गई है। उस समय अपीलान्टस का कोई हक–हिस्सा वादग्रस्त भूमि में नहीं बनता था। अतः अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विलम्ब अवधि को कन्डोन किये जाने को खारिज किया जावें।

9. हम अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से सहमत है कि अपीलार्थीया प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं थी। ऐसी दशा में उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी ज्योहि हुई आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर अपील की है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है एवं

अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

10. अपील के गुणावगुण पर दोनों पक्षों के द्वारा बहस की गई। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्तियों ने इस खसरे में जोधपुर विकास प्राधिकरण से भू उपयोग परिवर्तन करवाकर आवासीय पटटे जारी करवा लिये है उनको बिना पक्षकार बनाये ही बाले बाले अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण ने आपस में मिलीभगत कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये तथा तथ्यो को न्यायालय के समक्ष छुपाकर निर्णय प्राप्त कर लिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवम् तथ्यात्मक भूल की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही विधि/नियमों की अनदेखी करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के समक्ष खसरा नम्बर 75/8 का नियमानुसार भू उपयोग परिवर्तन करवाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण से पटटा विलेख प्राप्त कर लिया और ये खसरा वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को तो पक्षकार नहीं बनाया और साथ ही वर्तमान में राजस्व रेकर्ड के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को भी पक्षकार नहीं बनाया है, जो बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक था, परन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो ताजा राजस्व रेकर्ड/जमाबन्दी एवं न ही जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूउपयोग परिवर्तन होने का कोई रेकर्ड प्रस्तुत किया और न्यायालय के समक्ष तथ्यों को तोड–मरोडकर और छुपाकर निर्णय प्राप्त कर लिया, जो आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी उक्त खसरा नम्बर 75/8 में अपने नाम जोधपुर विकास प्राधिकरण से पटटा प्राप्त कर एक मात्र मालिकाना हक रखने वाली है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को सुनवाई का किसी प्रकार का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। न्यायहित में यह आवश्यक है कि सभी

पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को बिना सुने निर्णय पारित किया गया, इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

13. अपीलान्ट के अभिभाषक ने दौरान बहस यह भी कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने रेस्पो0 संख्या 3 व 4 से मिलावट करते हुए अपील में अपीलाधीन नामा0 संख्या 170 को सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश से निरस्त करवा दिया। जबकि रेस्पो0 संख्या 3 व 4 प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के दिन वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिये जाने के कारण खातेदार ही नहीं थे। अतः अपीलाधीन आदेश अपाप्त व निरस्त करने योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अन्त में यह कथन किया कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 31.03.2016 जो अपर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित किया गया को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

15. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक के द्वारा यह कथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त खसरान भूमि का तहसीलदार जोधपुर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 7.4.1990 को स्वीकृत किया गया और उस स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण में दर्ज खातेदारान को ही प्रथम अपील में आवश्यक पक्षकार बनाया गया था।

16. उक्त नामा0 संख्या 170 में अपीलान्टस का न तो नाम दर्ज था और न ही अपीलान्टस उल्लेखित खसरान भूमि पर काबिज थे। हम रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 2 (प्रथम अपील में संस्थित अपीलान्टगण) के द्वारा अन्य रेस्पोडेन्टस संख्या 3 व 4 जो मृतक खातेदार रामलाल के पुत्र एवं हमारे सगे भाई थे, से ही वादग्रस्त भूमि में अपना हक–हिस्सा प्राप्त करने हेतु नामान्तरकरण संख्या 170 को चुनौती दी गई थी। क्योंकि हिन्दू उत्त्राधिकार अधिनियम के तहत वे भी मृतक खातेदार रामपाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान थी जिन्हें भी उक्त खसरान भूमि में बराबर–बराबर का हक–हिस्सा मिलना चाहिये था तथा हमारा नाम अपने भाईयों के साथ–साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था जो नहीं किये जाने पर हमारे द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी जिसे श्रीमान अपर जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा रेस्पोडेन्टस की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण को तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा उन्हें निर्देश दिये गये कि वे स्व0 रामपाल की प्रथम श्रेणी

के वारिसान की जॉच विस्तृत रूप से करे तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पूर्णतया युक्तियुक्त ढंग से न्यायोचित आदेश पारित करें।' अतः अपीलाधीन प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश वो विधि अनुकूल उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे तथा अपीलान्टस की अपील को खारिज किया जावें।

17. रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक के द्वारा यह भी कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.3.2016 की पालना में तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 12.4.2016 को प्रकरण दर्ज कर मूल नामा0 संख्या 170 को निरस्त करने का नोट अंकित कर दिया तथा पत्रावली पर साक्ष्य सबूत लेकर पक्षकारान की सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 02.08.17 को यह आदेश दिया कि ख0सं0 75 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्व0 रामपाल के नाम दर्ज है। स्व0 रामपाल के के दो लडकों क्रमशः जीवदास व श्यामलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, उनकी बहनों का नाम नामा0 में दर्ज नहीं था वो नामा0 संख्या 170 निरस्त किया जाता है चूंकि जीवदास व श्यामलाल के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान पूर्व में कर दिया है, प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में यह आदेश दिया जाता है कि पक्षकार श्यामलाल व जीवदास के हिस्से को छोडकर शेष भूमि रामपाल के वारिसान श्रीमती शांती फौत के का0मु0 कान्ता, धनराज, कंचन, कमला, रूपचंद, स्व0 पुरी के का0मु0 रमेश, लिछमा, ओम, सन्तोष, प्रकाश, श्रीमती लीला व श्रीमती मैना फौत के का0मु0 खेमाराम, सीता, गजरा, कान्ता व रामेश्वरी के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें।

18. तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2017 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1395 भी दिनांक 1.9.2017 को स्वीकृत किया जा चुका है और उक्त नामा0 1395 के अनुसार जमाबन्दी में भी स्व0 रामपाल के वारिसान की उक्तानुसार खातेदारी दिनांक 12.9.2017 को दर्ज हो गई है। ऐसे में अब यह द्वितीय अपील प्रभावहीन एवं सारहीन हो गई है। अपीलान्टस अब तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित आदेश 2.8. 2017 को तथा नामा0 संख्या 1395 दिनांक 1.9.2017 को नये सिरे से सक्षम स्तर पर अपील प्रस्तुत कर चुनौती दे सकते है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

19. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। विद्वान अति0 जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की प्रथम अपील को दिनांक 31.3.2016 को स्वीकार करते हुए

नामा0 संख्या 170 दिनांक 7.4.1990 ग्राम चौपासनी जागीर को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया।

20. इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह हैकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यदि प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय की वर्तमान राजस्व रेकर्ड/जमाबन्दी में अंकित वादग्रस्त भूमि के सभी रेकर्डेड खातेदारान को पक्षकार संस्थित कर लिया जाता तो राजस्व रेकर्ड अनुसार न्यायोचित निर्णय हो पाता। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय का भी यह दायित्व बनता था कि वे अपील प्रस्तुती के समय यह देखते कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में चालू राजस्व रेकर्ड में भूमि रेस्पोडेन्टस के खाते में ही है जिनसे अनुतोष चाहा है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं था। वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 व 4 पूर्व में ही वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 75 का बेचान कर चुके थे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुती के समय वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हित निहित नही था। ऐसी दशा में उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की हैसियत से दी गई सहमति कोई महत्व नहीं रखती है। प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय के वास्तविक हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाना प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकारों की दुर्भिसंधि प्रकट करती है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय विधि अनुसार त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित किया जाना प्रकट होता है।

21. हम रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अभिभाषक के इस कथन से सहमत नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.3.2016 की पालना में न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 2.8.2017 को आदेश कर दिये जाने एवं उसके क्रम में नामा0 संख्या 1395 दिनांक 1.9.2017 को स्वीकृत कर दिये जाने से यह द्वितीय अपील प्रभावहीन हो गई है। यह सही है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलान्टस के हित प्रभावित हो रहे है एवं अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्टस द्वारा अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिया जाना उचित है। द्वितीय अपील को केवल इसलिये अप्रभावी नहीं कही जा सकती है कि अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रतिप्रेषित अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार जोधपुर) द्वारा नया आदेश प्रदान कर दिया गया है।

22. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिमाणस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2016 एवं उसकी पालना में की गई सभी उत्तरवृति कार्यवाहियों यथा न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2017 तथा उसकी पालना में स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 1395 दिनांक 1.9.2017 एवं जमाबन्दी में किये गये अंकन को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रथम अपील में संस्थित अपीलान्टस (जो कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2) के द्वारा वर्तमान अपीलान्टस तथा प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय की चालू जमाबन्दी में अंकित वादग्रस्त भूमि के सभी हितबद्ध खातेदारान को रेस्पोडेन्टस के रूप में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर